संख्या-11 /2018/494 /96-आयुष-2-2018-9(बी)/2007 टी0सी0

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 22 फरवरी, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद अलीगढ़ में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनॉक 20 मार्च, 2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03.08.2017 के क्रम में आपके पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/प्लान/2017-18/1065, दिनॉक 07.02.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, अलीगढ़ के भवन निर्माण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान रू0 932.41 लाख में से रू0 133.96 लाख (रूपये एक करोड़ तैंतीस लाख छियान्नबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
3. पी0एफ0ए0डी0 की शर्तो एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनॉक 20 मार्च, 2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03.08.2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी, स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही मदोंमें किया जायेगा, जिस कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही है।
5. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रामण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद व उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक खाते में रखी जायेगी।
8. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनॉक 20 मार्च, 2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 3-8-2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या-11/2018/494(1)/96-आयुष-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिलाधिकारी, अलीगढ़।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
5- निदेशक एवं महाप्रबन्धक सी0एण्ड0डी0एस0, जल निगम लखनऊ ।
6- परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड0डी0एस0, जल निगम अलीगढ़ ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2/(समाज कल्याण बजट प्रकोष्ट)
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in